ई-मेल.

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल -462023
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651
ई-मेल dpimp@sancharnet.in

कमांक/स्था.3/डी-1/39 /2011/1986 भोपाल,दिनांक 29-9-11

प्रति,

समस्त,
जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला (मध्यप्रदेश) ।

विषयः-शासकीय सेवकों के विरूद्व लंबित कार्यवाहियों के दौरान पदोन्नति ।
संदर्भः-अवर सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र कांक 1650/ 2188/ 2011/20-1 भोपाल,दिनांक 09.09.2011

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उप सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कमांक 1093/696/1/3/2011 भोपाल,दिनांक 29 अगस्त 2011 की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है ।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उल्लेखित निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर वांछित जानकारी प्राथमिकता के आधार पर तत्काल इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें,ताकि समय सीमा में जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग एवं शासन को प्रेषित की जा सके ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/स्था.3/डी-1/39 /2011/1987 भोपाल,दिनांक 29-9-11
प्रतिलिपिः-

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के कम में ओर सूचनार्थ ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

As1

RT-2
30/8/11

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (कक्ष-1)
पंजी क्र. 2158 /2011
दिनांक 2/9/11

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र. 1093/696/1/3/2011,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 2011

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय
भोपाल

विषयः-शासकीय सेवकों के विरूद्व लम्बित कार्यवाहियों के दौरान पदोन्नति।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-6-2-94-3-एक, दिनांक 30 जून, 1994 की कण्डिका 3(1) में निर्देश दिये गये हैं कि जब किसी शासकीय सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उसकी पदोन्नति की तारीख, मुहरबंद लिफाफों में रखे गये निष्कर्षों में, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा इस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। ऐसे शासकीय सेवक को यदि जरूरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले सब से बाद में पदोन्नत किए गए व्यक्ति को पदावनत कर, पदोन्नत किया जा सकता है।

2- आपके विभाग में उपरोक्तानुसार स्थानापन्न रूप से पदोन्नत कनिष्ठतम व्यक्ति को पदावनत करने के कितने प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनमें सम्बन्धित द्वारा न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गयी हो या अन्य प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हुई हो।

3- कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक ~~30.08.2011~~ 12.09.2011 तक आवश्यक रूप से इस विभाग को उपलब्ध करायें।

25/8/2011
(अर्कीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग